अस्वीकरण

संदेह से बचने के लिए सोशियल बॉन्ड प्रिन्सीपल्स जिसका मूल प्रकाशन आईसीएमए की वेबसाइट पर अंग्रेजी भाषा में है. वही दस्तावेज प्रामाणिक है. यह अनुवाद केवल सामान्य संदर्भ मात्र के लिए दिया गया है.

सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स 2017

सामाजिक बॉन्डों को जारी किए जाने के लिए स्वैच्छिक प्रक्रिया मार्गदर्शन

2 जून 2017

प्रस्तावना

जून 2016 में ग्रीन बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (जीबीपी) द्वारा जारी किए गए सामाजिक बॉन्डों के जारीकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (एसबीपी) ने बदल दिया है. सामाजिक बॉन्डों में बॉन्डों की उस धनराशि का प्रयोग होता है जो धन सकारात्मक सामाजिक परिणामों वाली नई और विद्यमान परियोजनाओं हेतु प्राप्त किया जाता है. एसबीपी एक स्वैच्छिक प्रक्रिया मार्गदर्शन है जिसकी संस्तुति पारदर्शिता और उजागर किया जाना है, तथा सामाजिक बॉन्ड बाज़ार के विकास में सत्यनिष्ठा का संवर्धन करना है. ये इसलिए होते हैं ताकि बाज़ार के भांति भांति के प्रतिभागी इनका व्यापक प्रयोग करें और ये इस तरह से बनाए गए होते हैं कि बिना किसी मध्यस्थता के सामाजिक परियोजनाओं को पूंजी आवंटन बढ़ाने के लिए आवश्यकता वाली सूचना दे सकें. एसबीपी को 2016 में जीबीपी सदस्यों और प्रेक्षकों के ऑटम परामर्श में मिली जानकारी से और सामाजिक बॉन्ड कार्यकारी समूह (एसबीडबल्यूजी) से मिली जानकारी से लाभ हुआ है.

सामाजिक बॉन्ड परिभाषा

सामाजिक बॉन्ड किसी भी प्रकार के बॉन्ड संलेख हो सकते हैं जिनके धन को अनन्य तौर पर नई और/या विद्यमान पात्र सामाजिक परियोजनाओं को आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त किए जाने या फिर पुन: वित्त किए जाने के लिए किया जाता है और ये एसबीपी के चार मुख्य घटकों के अनुरूप होते हैं (धन के प्रयोग का खंड 1 देखें). बाज़ार में कई तरह के सामाजिक बॉन्ड उपलब्ध हैं. इनका वर्णन परिशिष्ट I में किया गया है.

ऐसा समझा जाता है कि कुछ सामाजिक परियोजनाओं से भी पर्यावरणीय लाभ साथ-साथ हाते हैं, और यह कि सामाजिक बॉन्ड के तौर पर बॉन्ड की धनराशि को प्रयोग में लाने का वर्गीकरण जारीकर्ता द्वारा निहित परियोजनाओं हेतु इसके प्राथमिक उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए. (जिन बॉन्डों में जान बूझ कर ग्रीन और सामाजिक परियोजनाओं को मिलाया जाता है उन्हें सातत्ययोग्य बॉन्ड कहा जाता है, और इनके लिए विशिष्ट मार्गदर्शन अलग से सातत्ययोग्य बॉन्ड मार्गदर्शन में दिया गया है.)

यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक बॉन्डों को ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि एसबीपी के चार मुख्य घटकों के ये अनुरूप नहीं हैं. 2016 में पहले वाले सामाजिक बॉन्ड मार्गदर्शन के अंतर्गत जारी किए गए बॉन्ड एसबीपी के अनुरूप ही माने जाते हैं.

सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स

एसबीपी स्वैच्छिक प्रक्रिया मार्गदर्शन है जिसकी संस्तुति है कि पारदर्शिता बरती जाए और उजागर किया जाए तथा सामाजिक बॉन्ड जारी करने के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए सामाजिक बॉन्ड बाज़ार के विकास में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दिया जाए. एसबीपी बाज़ार द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने के लिए होते हैं: इनसे जारीकर्ताओं को एक भरोसेमंद सामाजिक बॉन्ड बाज़ार में लाने में शामिल मुख्य घटकों पर मार्गदर्शन मिलता है; इनसे निवेशकों को सहायता मिलती है क्योंकि सामाजिक बॉन्ड निवेशों के सकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने को ये बढ़ावा देते हैं; और इनसे बीमाकर्ताओं को सहायता मिलती है क्योंकि बाज़ार संबंधी प्रत्याशित चीज़ें उजागर की जाती हैं जिससे कि लेनदेन होते हैं.

एसबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता प्रक्रिया स्पष्ट रखें और हर बात उजागर करें जिससे निवेशकों, बैंकों, निवेशक बैंकों, बीमाकर्ताओं, नियोजक अभिकर्ताओं तथा अन्य किसी भी वाले सामाजिक बॉन्ड की विशेषताओं को समझने के लिए प्रयोग में ला सकें. एसबीपी का बल इस बात पर रहता है कि हितधारियों के लिए जारीकर्ताओं द्वारा दी गई और बताई गई जानकारी में आवश्यक पारदर्शिता, सटीकता और सूचना की सत्यता बरती जाए.

एसबीपी के चार प्रमुख घटक हैं:

1. धन का प्रयोग
2. परियोजना मूल्यांकन और चयन हेतु प्रक्रिया
3. धन का प्रबंधन
4. रिपोर्टिंग

1. धन का प्रयोग

सामाजिक बॉन्ड की आधारशिला ही सामाजिक परियोजनाओं (इनमें अन्य संबंधित तथा समर्थन व्यय जैसे कि अनुसंधान और विकास शामिल हैं) के लिए बॉन्ड के धन को प्रयोग में लाना है, जिन्हें प्रतिभूति के विधिक प्रलेखन में समुचित रूप से बताया जाना चाहिए. सभी पदनामित सामाजिक परियोजनाएं स्पष्ट सामाजिक लाभ बताएं, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा और जहां व्यवहारिक हो वहां जारीकर्ता द्वारा इनकी मात्रा भी बताई जाए.

यदि समस्त धन या इसका हिस्सा पुन: वित्त के लिए प्रयोग में लाया गया है या लाया जा सकता है तो संस्तुति है कि जारीकर्ता वित्त किए जाने और पुन: वित्त किए जाने के लिए हिस्से का अनुमान बनाए और जहां उचित हो वहां यह भी स्पष्ट करे कि किन निवेशों या परियोजना पोर्टफोलियो को फिर से वित्त दिया जाना है और किस हद तक दिया जाना है, पुन: वित्त की गई सामाजिक परियोजनाओं हेतु लुक-बैक अवधि कितनी होगी.

सामाजिक परियोजनाओं का सीधा लक्ष्य होता है कि वे लक्ष्यगत विशेष लोगों हेतु विशेष सामाजिक मुद्दे के समाधान करने या इसे कम करने में सहायता दें और/या ये खास सकारात्मक सामाजिक परिणामों की प्राप्ति के लिए हों, किंतु इनका यही एकमेव उद्देश्य न हो. सामाजिक परियोजना श्रेणियों के नीचे विस्तृत उदाहरण देखें जिनमें लक्षित लोगों के लिए सकारात्मक समाजार्थिक परिणाम अपेक्षित हैं.

उपलब्ध करवाने वाली और/या बढ़ावा देने वाली सामाजिक परियोजना श्रेणियों में शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- आर्थिक पहुंच के भीतर आधारभूत अधिरचना (जैसे पेयजल, जल-मल निकासी, सफाई, परिवहन)
- अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच पाना (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, ऋण दिया जाना और वित्तीय सेवाएं)
- क्रय शक्ति के भीतर मिलने वाले मकान

- एसएमई वित्तीयन और सूक्ष्म वित्तीयन के संभावित प्रभाव के माध्यम सहित रोजगार के नए अवसर बनाना
- खाद्य सुरक्षा
- समाजार्थिक उन्नति और शक्तिसंपन्नता

लक्ष्यित लोगों के उदाहरणों में ये शामिल हैं किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. निर्धनता की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले
2. बहिष्कृत और/या सीमांत स्थितियों में रहने वाले लोग और/या समुदाय
3. प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम सहित, कमज़ोर समूह
4. विकलांग लोगों के साथ
5. बाहरी और/या विस्थापित लोग
6. अल्पशिक्षित
7. सुविधाहीन
8. बेरोज़गार

कई श्रेणियां और मानदंड ऐसे हैं जिनमें बाज़ार में पहले से विद्यमान सामाजिक परियोजनाओं को परिभाषित किया गया है जिनका प्रयोग पूरक मार्गदर्शन के रूप में किया जा सकता है. जारीकर्ता और अन्य हितधारी www.icmagroup.org/resourcecentre आईसीएमए के वैबपेजों पर दिए गए लिंकों के माध्यम से उदाहरण देख सकते हैं.;

2. परियोजना मूल्यांकन और चयन हेतु प्रक्रिया

सामाजिक बॉन्ड के जारीकर्ता को चाहिए कि वे निवेशकों को यह बताएं:

- सामाजिक उद्देश्य;
- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जारीकर्ता यह निर्धारित करता है कि ऊपर बताई गई पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणियों में किस तरह से सही बैठती हैं;
- परियोजनाओं से जुड़े संभावित मुख्य सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों को पहचानने और इनका प्रबंधन करने के लिए यदि प्रयोजनीय हो तो शामिल न किए जाने के मानदंडों को शामिल कर या इस पर लागू होने वाली अन्य प्रक्रिया सहित संबंधित पात्रता मानदंड.

जारीकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस जानकारी को निहित उद्देश्यों, कार्यनीति, नीति और/या सामाजिक सातत्ययोग्यता से संबंधित प्रक्रियाओं के संदर्भ में यह जानकारी प्रदान करे. जारीकर्ताओं को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे परियोजना चयन के संदर्भ में हर सामाजिक मानक या प्रमाणनों को भी उजागर करें.

एसबीपी प्रोत्साहित करती है कि उच्च स्तरीय पारदर्शिता बरती जाए और संस्तुति करती है कि परियोजना मूल्यांकन और चयन हेतु जारीकर्ता की प्रक्रिया के साथ बाहरी समीक्षा भी हो (बाहरी समीक्षा खंड देखें).

3. धन का प्रबंधन

सामाजिक बॉन्ड के निवल धन को या जो धनराशि इस निवल धन के बराबर हो उसे एक उप-खाते में जमा करवा दिया जाना चाहिए और इसे एक उप-पोर्टफोलियो में ले जाना चाहिए या फिर जारीकर्ता द्वारा उचित रीति से इस पर नज़र रखी जानी चाहिए, और सामाजिक परियोजनाओं हेतु जारीकर्ता की उधार लेने की और निवेश कार्यों से जुड़ी औपचारिक आंतरिक प्रक्रिया द्वारा इसे सत्यापित किया जाए.

जहां तक सामाजिक बॉन्ड के बकाया होने का प्रश्न है तो दृष्टिगत धन का शेष आवधिक रूप से इस अवधि के दौरान पात्र हुई परियोजनाओं के आवंटन से मिलान के लिए समायोजित किया जाना चाहिए. अनावंटित धन के शेष हेतु अस्थायी नियोजन के अभीष्ट प्रकारों से जारीकर्ता द्वारा निवेशकों को परिचित करवाया जाना चाहिए.

एसबीपी प्रोत्साहित करती है कि उच्च स्तरीय पारदर्शिता बरती जाए और संस्तुत करती है कि जारीकर्ता के धन प्रबंधन में लेखापरीक्षक को या फिर अन्य तृतीय पक्ष को प्रयोग में लाया जाए ताकि आंतरिक रूप से नज़र रखे जाने को सत्यापित किया जा सके और सामाजिक बॉन्ड के धन से निधीयन के आवंटन को सत्यापित किया जा सके (बाहरी समीक्षा खंड देखें).

4. रिपोर्टिंग

जारीकर्ताओं को चाहिए कि वे हर साल पूरे आवंटन तक और उसके बाद यथावश्यक रूप से कुछ खास होने की दशा में नवीकृत किए जाने वाले धन के प्रयोग पर अद्यतन जानकारी तैयार करें और उसे सदा उपलब्ध रखें. इसमें उन परियोजनाओं की सूची होनी चाहिए जिनमें कि सामाजिक बॉन्ड धन को आवंटित किया गया है, साथ ही परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण और आवंटित धनराशि हो तथा उनसे प्रत्याशित प्रभाव दिया जाए. जहां गोपनीयता समझौते, प्रतियोगी प्रतिफल, या निहित परियोजनाओं की बड़ी संख्या के कारण विवरण सीमित हो तो वह उपलब्ध करवाया जाए, एसबीपी की संस्तुति है कि जानकारी जेनेरिक रूप में या फिर समेकित पोर्टफोलियो आधार पर दी जाए (जैसे कि कुछ परियोजना श्रेणियों को आवंटित प्रतिशत).

परियोजनाओं के प्रत्याशित असर के बारे में बताने की दृष्टि से पारदर्शिता का खास महत्व होता है. एसबीपी की संस्तुति है कि गुणात्मक निष्पादक संसूचकों को प्रयोग में लाया जाए और हां व्यावहारिक हो वहां परिमाणात्मक निष्पादन उपायों को प्रयोग में लाया जाए (जैसे लाभार्थियों की संख्या) और मुख्य अन्तर्निहित तरीकों और/या परिमाणात्मक निर्धारण में प्रयुक्त मान्यताओं के बारे में जानकारी दी जाए. जो जारीकर्ता प्रभावों पर नज़र रख पाने में सक्षम हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उन्हें अपनी रिपोर्टिंग में शामिल करें.

सामाजिक बॉन्ड या सामाजिक बॉन्ड कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं को परिलक्षित करने वाले सारांश को प्रयोग में लाने और एसबीपी के प्रमुख चार घटकों के साथ इसकी संगति में मुख्य विशेषताओं को दर्शाने से बाज़ार के प्रतिभागियों को सूचित करने में सहायता मिलेगी. फिर आपको एक टेम्पलेट www.icmagroup.org/resourcecentre से मिलेगा जिसे भर दिए जाने के बाद इसे उसी लिंक पर दिए गए अनुदेशों का पालन कर बाज़ार की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किया जा सकता है.

बाहरी समीक्षा

संस्तुत किया जाता है कि जारीकर्ता बाहरी समीक्षा का प्रयोग करें ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उनके सामाजिक बॉन्ड ऊपर बताए गए एसबीपी की चार प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप हैं. जारीकर्ताओं के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि वे अपनी सामाजिक बॉन्ड प्रक्रिया को बनाने के लिए बाहर से

जानकारी प्राप्त कर सकें और कई स्तरों और प्रकारों की समीक्षाएं हैं जो वे बाज़ार को उपलब्ध करवा सकते हैं. ऐसे मार्गदर्शन और बाहरी समीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं:

1) सलाहकार समीक्षा: जारीकर्ता सलाहकार और/या सामाजिक मुद्दों में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता वाले संस्थानों या सामाजिक बॉन्ड को जारी किए जाने के अन्य पहलुओं से जुड़े संस्थानों जैसे कि जारीकर्ता के सामाजिक बॉन्ड कार्यढांचे/स्थापना की समीक्षा करने वाले प्रतिष्ठान से परामर्श कर सकता है. इस श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के मत आते हैं.

2) सत्यापन: जारीकर्ता के सामाजिक बॉन्ड, जुड़ा हुआ सामाजिक बॉन्ड फ्रेमवर्क, या लेखापरीक्षकों जैसे योग्यताप्राप्त पक्षों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक सत्यापित अन्तर्निहित संपत्तियां हो सकती हैं. प्रमाणन से उलट, सत्यापन में आंतरिक मानकों या जारीकर्ता द्वारा किए गए दावों की संगति पर बल दिया जाता है. अन्तर्निहित परिसंपत्तियों की सामाजिक विशेषताओं का मूल्यांकन सत्यापन कहा जा सकता है और इसे बाह्य मानदंडों के रूप में देखा जा सकता है.

3) प्रमाणन: जारीकर्ता के पास अपने सामाजिक बॉन्ड, या जुड़ा हुआ सामाजिक बॉन्ड फ्रेमवर्क या फिर बाह्य निर्धारण मानक के प्रति प्रमाणित धन का प्रयोग हो सकता है. निर्धारण मानक मानदंडों को परिभाषित करता है और यह कि इन मानदंडों के साथ संगति को योग्यताप्राप्त तृतीय पक्षों/प्रमाणकों द्वारा जांच ली गई है.

4) रेटिंग: जारीकर्ता के पास अपने सामाजिक बॉन्ड या जुड़े हुए सामाजिक बॉन्ड का फ्रेमवर्क हो सकता है जो कि योग्यताप्राप्त तृतीय पक्षों जैसे कि विशेषज्ञता वाले अनुसंधान प्रदाता या रेटिंग एजेन्सियों द्वारा रेट किया गया हो. सामाजिक बॉन्ड रेटिंगें जारीकर्ता की ईएसजी रेटिंग से अलग होती हैं क्योंकि इन्हें अलग-अलग प्रतिभूतियों या सामाजिक बॉन्ड फ्रेमवर्कों/कार्यक्रमों पर लागू किया जाता है.

बाहरी समीक्षा आंशिक हो सकती है, हो सकता है इसमें जारीकर्ता के सामाजिक बॉन्ड या जुड़े हुए सामाजिक बॉन्ड फ्रेमवर्क के कुछ ही पहलू हों या फिर ये पूरी तरह से शामिल हो, इसमें एसबीपी के चार प्रमुख घटकों के साथ इसकी संगति का मूल्यांकन होता है.

एसबीपी की संस्तुति है कि बाहरी समीक्षा को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाए या फिर कम से कम इसके सारांश को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया जाए उदाहरण के लिए www.icmagroup.org/resourcecentre पर उपलब्ध टेम्पलेट का प्रयोग कर ऐसा किया जाए जिसे उसी लिंक पर दिए गए अनुदेशों का पालन कर भरने के बाद ऑनलाइन प्रकाशित किया जा सकता है. एसबीपी का कहना है कि बाहरी समीक्षाकर्ता हर दशा में अपनी प्रामाणिकता और संगत विशेषज्ञता बताएं और जो समीक्षा उन्होंने की है उसके दायरे की स्पष्ट जानकारी प्रदान करें.

एसबीपी में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बाहरी समीक्षा का समय धन के प्रयोग की प्रकृति पर निर्भर होता है और कारोबारी गोपनीयता की अपेक्षाओं के कारण समीक्षाओं के प्रकाशन के मार्ग में रुकावट आ सकती है.

संसाधन केन्द्र

संस्तुत टेम्पलेट और अन्य एसबीपी संसाधन, संसाधन केन्द्र www.icmagroup.org/resourcecentre से उपलब्ध करवाए जाते हैं. भरे हुए टेम्पलेट ऊपर दिए गए लिंक पर दिए गए अनुदेशों का पालन कर संसाधन केन्द्र पर बाज़ार की सूचना के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किए जा सकते हैं.

अस्वीकरण

सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स स्वैच्छिक प्रक्रिया मार्गदर्शन है जो न तो प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने का प्रस्ताव है न ही यह सामाजिक बॉन्डों या किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी रूप में (कर, कानूनी, पर्यावरणीय, लेखाकर्म या विनियामक) कोई सलाह विशिष्ट ही है. सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स न तो किसी व्यक्ति, जनता या निजी तौर पर किसी को अधिकार प्रदान करते हैं न ही कोई दायित्व ही उन पर डालते हैं. जारीकर्ता स्वैच्छिक और स्वतंत्रतापूर्वक सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स को अंगीकार करें और इनका कार्यान्वयन करें, सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स का न तो सहारा लें न ही इन पर आश्रित हों, और वे ही सामाजिक बॉन्डों को जारी करने के लिए निर्णय हेतु एकमेव रूप से उत्तरदायी होंगे. सामाजिक बॉन्डों के प्रति और इसके फलस्वरूप मिलने वाले धन के प्रयोग के प्रति यदि जारीकर्ता अपनी प्रतिबद्धता नहीं बरतते तो सामाजिक बॉन्डों के बीमाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी न होंगे. यदि किन्हीं प्रयोजनीय विधियों, विधानों और विनियमों और सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स में दिए गए मार्गदर्शन के बीच कोई टकराव होता है तो संगत स्थानीय विधियां, विधान और विनियम ही मान्य होंगे.

परिशिष्ट I
सामाजिक बॉन्डों के प्रकार

वर्तमान में चार प्रकार के सामाजिक बॉन्ड हैं (बाज़ार के विकसित होने के साथ-साथ और भी प्रकार आ सकते हैं और इन्हें हर साल एसबीपी को अद्यतनीकृत किए जाते समय शामिल किया जाएगा):

- **धन के मानक सामाजिक प्रयोग वाले बॉन्ड:** एसबीपी के अनुरूप ऋण बाध्यकारिता वाले जारीकर्ता को एक मानक आश्रय.

- **सामाजिक राजस्व बॉन्ड:** इसमें जारीकर्ता को ऋण बाध्यकारिता का आश्रय नहीं मिलता ये एसबीपी के अनुरूप होते हैं इस बॉन्ड में उधार निहित होता है जो कि राजस्व कारकों, शुल्क, कर आदि के नकद प्रवाह के प्रति रहन होता है और इनके धन का प्रयोग संबंधित या असंबंधित परियोजना (ओं) में किया जाता है.

- **सामाजिक परियोजना बॉन्ड:** वह परियोजना बॉन्ड जो किसी एक या कई सामाजिक परियोजनाओं के लिए हो जिसके लिए निवेशक का सामना परियोजना (ओं) के जोखिम से सीधा सामना हो जिसमें जारीकर्ता को संभावित आश्रय मिले या फिर न मिले और जो एसबीपी के अनुरूप हो.

- **सामाजिक प्रतिभूत बॉन्ड:** ऐसा बॉन्ड जो एक या अधिक विशिष्ट सामाजिक परियोजना (ओं) द्वारा संबंधित हो इसमें कवर किए गए बॉन्ड, एबीएस, एमबीएस और अन्य संरचनाएं शामिल तो हैं किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; और जो एसबीपी के अनुरूप हो. परिसंपत्तियों का नकद प्रवाह सामान्यतया पुन: भुगतान किए जाने का पहला स्रोत होता है.

Hindi language translation courtesy of YES BANK and reviewed by Citi